न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 21/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002

रिलायन्स कॉमर्शियल फाइनेन्स लिमिटेड

(जो कि पूर्व में रिलायंस केपिटल लि. के कॉमर्शियल फाईनेंस डिविजन एवं रिलायन्स गिल्ट लि. के नाम से जाना जाता है) डिविजन रजिस्टर्ड ऑफिसः 11th Floor, नोर्थ–वेस्ट विंग, प्लॉट नं. 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर (वेस्ट), मुम्बई–400028 एवं शाखा कार्यालय : 512 जेम्स कॉलोनी, प्रथम तल, सेक्टर–3, विद्याधर नगर, जयपुर–302039, राज. जरिये ऑथोराईज्ड ऑफिसर हरीशंकर शर्मा।

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मदन मोहन ट्रेडर्स जरिये प्रोपराईटर मदन लाल कुमावत, (बोरोवर)**
   पता–रोडवेज वर्कशॉप के पास, कुन्हाडी, जिला कोटा, राज. 324008
   अन्य पता– प्लाट नं. 1652 (वार्ड नं. 39), स्थित खसरा नं. 307, ग्राम न्यू समर्थपुरा, पीपराली रोड़, जिला सीकर, राज. 332402
2. **मदन लाल कुमावत पुत्र नथमल कुमावत (को–बोरोवर),** निवासी 22, कुन्हाड़ी, थाने के पीछे, यूआईटी अम्बेडकर कॉलोनी, सकतपुरा, कोटा, राज. 324008
3. **राकेश कुमार कुमावत पुत्र मदन लाल कुमावत (को–बोरोवर),** निवासी 22, कुन्हाड़ी, थाने के पीछे, यूआईटी अम्बेडकर कॉलोनी, सकतपुरा, कोटा, राज. 324008
4. **मुकेश कुमावत पुत्र मदन लाल कुमावत (को–बोरोवर),** निवासी 22, कुन्हाड़ी, थाने के पीछे, यूआईटी अम्बेडकर कॉलोनी, सकतपुरा, कोटा, राज. 324008
5. **शांती देवी (को–बोरोवर),** निवासी 22, कुन्हाड़ी, थाने के पीछे, यूआईटी अम्बेडकर कॉलोनी, सकतपुरा, कोटा, राज. 324008

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांकः– 28.10.24

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **मदन मोहन ट्रेडर्स जरिये प्रोपराईटर मदन लाल**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कुमावत, मदन लाल कुमावत, राकेश कुमार कुमावत, मुकेश कुमावत एवं **शांती देवी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **मदनलाल** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **प्लाट नं. 1352, वार्ड नं. 39, स्थित खसरा नं. 307, ग्राम न्यू समर्थपुरा, पीपराली रोड़, सीकर– 332402, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 584.49 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्लॉट सरवर, पश्चिम दिशा में मकान धुड़ाराम, उत्तर दिशा में पिपराली सड़क एवं दक्षिण दिशा में मकान धोबियान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 2,50,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये दो करोड़ पचास लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **22.06.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट
सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **18.11.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटोप्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।?

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **मदन मोहन ट्रेडर्स जरिये प्रोपराईटर मदन लाल कुमावत, मदन लाल कुमावत, राकेश कुमार कुमावत, मुकेश कुमावत** एवं **शांती देवी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **मदनलाल** के स्वामित्व की बंधक सम्पति

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्लाट नं. 1352, वार्ड नं. 39, स्थित खसरा नं. 307, ग्राम न्यू समर्थपुरा, पीपराली रोड़, सीकर– 332402, राज. में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 584.49 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में प्लॉट सरवर, पश्चिम दिशा में मकान धुड़ाराम, उत्तर दिशा में पिपराली सड़क एवं दक्षिण दिशा में मकान धोबियान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।?

6. आदेश आज दिनांक 28.10.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर